<u>न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम सं.–3, जयपुर महानगर, प्रथम।</u>

पीठासीन अधिकारी : विशाल भार्गव, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
ज0 प्रा0 पत्र संख्या : 73 / 2026
सी.आई.एस. नम्बर : 937 / 26
सीएनआर नंबर : RJJM010167552026

विकास जैन पुत्र श्री कमल चंद जैन आयु 55 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 305, फ्लैट नंबर 205 बी, विंग–2, फ्लोर रॉयल एम्पायर ग्रीन विलास कॉलोनी, मांग्यावास मानसरोवर जयपुर

––प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, प्रथम

––अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
एफ.आई.आर. नम्बर 65 / 2026, पुलिस थाना– गांधी नगर, जयपुर
<u>अपराध अन्तर्गत धारा– 318(4), 316(2), 352 भारतीय न्याय संहिता 2023</u>

उपस्थित :–

1. श्री एम.एम.खान, विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान् अपर लोक अभियोजक सरकार की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांकः– 26.05.2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। केस डायरी तलब कर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि परिवादी श्री अंकित जैन ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की कि काफी समय से ज्वैलरी स्टोन्स की दलाली का कार्य करता हूँ। मैंने अमित पारीक को नरेन्द्र लक्खी से ज्वैलरी स्टोन के तहत RUBY Burma Pc 2 (4.045.42) total 9.46 cts का ज्वैलरी स्टोन, Emerald कुल PC 5 (5.724.965.115.715.96) कुल 27.46 cts ज्वैलरी स्टोन, Yellow Sapphire pc 7 (5.045.07–5.495.075.585.815.85 cts) कुल

37.91 cts ज्वैलरी स्टोन एवं Blue Sapphire 5.00 cts इमरान अहमद अंसारी से ज्वैलरी स्टोन के तहत Emerald Cut 5-68cts, 6-80cts और Ruby Heart Shape 28-33cts, अमित सुखलेचा प्रोपराइटर मैसर्ष रेनबो स्टोन्स का Ruby Burma Cut 3-81cts का ज्वैलरी स्टोन, बन्टी नामक व्यक्ति से Ruby Burma Cut, 5-16cts, 3 pcs (Blue Sapphire 4-316-756-68) total 17-74cts, पियुष जैन का Blue Sapphire cut 5-07cts- Yellow Sapphire cut 7-55cts, White Sapphire cut 7-95cts सराफा बाजार में दलाली के मार्फत विक्रय करने हेतु प्राप्त किया जिसके तहत मैंने विकास जैन को बाजार में क्रय–विक्रय करने का कार्य करता है से सम्पर्क किया। विकास जैन ने उपरोक्त सम्पूर्ण माल मुझसे रूबरू गवाह नगेन्द्र चौरडिया ग्राहकों को दिखाने हेतु यह कहते हुए प्राप्त किया कि मेरा ग्राहक उपेश पटेल मुम्बई निवासी जयपुर आया हुआ है उसको माल दिखाकर आपका काम करवा देता हूँ। काफी दिनों तक विकास जैन द्वारा जवाब नहीं देने पर मैंने विकास जैन से माल के बारे में पूछा तो विकास जैन टालमटोल करने लगा अन्त में विकास जैन ने मुझसे कहा कि उसने उपेश पटेल से मिलीभगत करते हुए आपराधिक षडयन्त्र पूर्वक उपरोक्त सारा माल खुर्द बुर्द कर लिया है..... आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 318(4), 352 BNS मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका से ग्रस्त होकर हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03. प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

04. जमानत प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने यह तर्क दिया है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में झूंठा फंसाया है। परिवादी प्रार्थी से रंजिश रखने लग गया है व उसने उक्त झूठी रिपोर्ट थाने पर दी है जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी अंकित जैन व अन्य लोगों से मिलीभगत करके अनुसंधान अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने की कहते हुए डरा धमका कर परिवादी को प्रार्थी/अभियुक्त से आठ चैक दिलवा दिये। जब जब भी प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 91/160 सीआर.पी.सी. का नोटिस देकर बुलाया गया है तब तब प्रार्थी थाने पर उपस्थित होता रहा है, किन्तु अनुसंधान अधिकारी के द्वारा थाने पर प्रार्थी को बैठा लिया जाता है और अनुसंधान करने के बजाय डराया धमकाया जाता व परिवादी व उसके साथियों को बुलाकर राजीनामा करने व पैसा देने का दवाब बनाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त एक इज्जतदार शरीफ व्यक्ति है जिसका उक्त अपराध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। परिवादी ने जो भी आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये हैं वे सभी झूठे हैं। इस कारण प्रार्थी/ अभियुक्त अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी–अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार एवं तत्पर है। अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

05. प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा हस्तगत प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन के संबंध में तथ्य प्रकट किए हैं: –

क्र.सं.	न्यायालय, जहां प्रार्थना पत्र पेश किया	जमानत आवेदन संख्या	प्रक्रम (Stage)	विशेष विवरण
1.	Nil	Nil	Nil	जमानत प्रार्थना पत्र के अंत में हाजा न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा पूर्व में कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जाना अंकित किया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 बीएनएनएस के तहत यह प्रथम जमानत आवेदन होना तथा इससे पूर्व प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा ना तो न्यायालय के समक्ष और ना ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत का कोई आवेदन पेश किया जाना बताया गया है।

06. योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक ने आक्षेपित अपराध गम्भीर प्रकृति के बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

07. मुताबिक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रार्थी–अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड शून्य होना बताया गया है।

08. हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली, तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

09. केस डायरी के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी अंकित जैन के द्वारा अभियुक्त को ज्वैलरी स्टोन का माल अलग अलग कैरेट का बेचने हेतु प्रदत्त किया गया था। उक्त माल विकास जैन के द्वारा उपेश पटेल को बेचा गया जिसका भुगतान अभियुक्त के द्वारा अंकित जैन को नहीं किया गया। माल जो परिवादी के द्वारा अभियुक्त को प्रदत्त किया गया था, उसकी कुल कीमत 1,96,35,965/– रूपये (अक्षरे एक करोड़ छियानबे लाख पैतीस हजार नौ सौ पैंसठ रूपये) है, जबकि अभियुक्त के द्वारा उक्त माल को केवल 48,00,000/– रूपये की रकम में बेच दिया गया। प्रकरण में विकास जैन से अनुसंधान शेष है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

11. अतः प्रार्थी–अभियुक्त विकास जैन पुत्र श्री कमल चंद जैन आयु 55 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 305, फ्लैट नंबर 205 बी, विंग–2, फ्लोर रॉयल एम्पायर ग्रीन विलास कॉलोनी, मांग्यावास मानसरोवर जयपुर राजस्थान की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (438 दण्ड प्रक्रिया संहिता), एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

12. अनुसंधान पत्रावली अपर लोक अभियोजक के माध्यम से लौटाई जावे।

(विशाल भार्गव)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, जयपुर महानगर, प्रथम

13. आदेश आज दिनांक 26.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(विशाल भार्गव)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, जयपुर महानगर, प्रथम